1.

127

संख्या:– 154/XXVII (1)/2012

प्रेषक,

आर.सी.अग्रवाल,
अपर सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–1 **देहरादून:: दिनांक: 16 :मार्च,2012**

विषय:– 13वाँ वित्त आयोग की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2011–12 की द्वितीय किश्त हेतु क्षेत्र पंचायतों को धनराशि का संक्रमण।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 13वाँ वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुक्रम में प्रदेश की समस्त क्षेत्र पंचायतों को चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में द्वितीय किश्त हेतु कुल धनराशि ₹ 105570000.00 (₹दस करोड़ पचपन लाख सत्तर हजार मात्र) को संलग्नानुसार को निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय आवंटन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2– संक्रमित की जा रही धनराशि वेतन एवं भत्तों आदि पर व्यय नहीं की जा सकेगी।

3–13वाँ वित्त आयोग द्वारा संस्तुति की गई है कि संक्रमित धनराशि से निम्न कार्य कराये जा सकते हैं:–

(1) पथ प्रकाश (2)पेयजल योजनाओं का अनुरक्षण (3)स्वच्छता (4) परिसम्पत्तियों का निर्माण (5) स्वजल धारा कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित जलापूर्ति परिसम्पत्तियों को अपने हाथ में लेकर उनका अनुरक्षण किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त परिसम्पत्तियों के निर्माण आदि कार्य किये जाने चाहिए।

4–क्षेत्र पंचायतें केवल अन्तरग्रामीण (Inter Village) की योजनाएँ ही चयनित करेंगे।

5–कोषागार से संक्रमित की जा रही धनराशि आहरित करने हेतु बिल जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा तैयार किये जायेंगे तथा जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

6–जिला पंचायत राज अधिकारी प्रत्येक स्थिति में एक सप्ताह के अन्दर सम्बंधित क्षेत्र पंचायतों को धनराशि चैक/ड्राफ्ट के माध्यम से प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

7–अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सम्बंधित जिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर कराकर जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से महालेखाकार, उत्तरराखण्ड, देहरादून प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड को उपलब्ध करायेंगे। समय से उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त न होने पर भारत सरकार द्वारा अगली किश्त की धनराशि अवमुक्त नहीं की जायेगी। **यदि उपयोगिता प्रमाण–पत्र के विलम्ब के कारण कोई धनराशि लैप्स होती है तो उसके लिये जिला पंचायत राज अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।**

105570000
103380000
2089.50000

8—संक्रमित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण—पत्र प्राप्त होने पर ही अगली किश्त अवमुक्त की जायेगी। उपयोगिता प्रमाण—पत्र जिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर कराकर दिनांक 15 मई, 2012 तक उपलब्ध करायेंगे।

9—संक्रमित धनराशि का उपयोग केवल उसी कार्य हेतु किया जायेगा जिस कार्य के लिए धनराशि आवंटित की गई है। इसमें किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

10—संक्रमित धनराशि के समुचित उपयोग के लिए विभागीय अधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो उत्तरदायी होंगे।

11—संक्रमित की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011—12 के आय—व्ययक की अनुदान संख्या—07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 3604—स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन—आयोजनेत्तर—02—पंचायती राज संस्थायें—197—विकास खण्ड स्तरीय पंचायत—01—केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—0103—13वाँ वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान—20—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा एवं संलग्न प्रपत्र बी.एम. 15 के कालम—1 की बचतों से वहन किया जायेगा।

संलग्नकः—यथोक्त।

भवदीय,

(आर.सी.अग्रवाल)
अपर सचिव, वित्त।

संख्या 1(5)(1)/ **XXVII (1)**/2012, तद्‌दिनांकः—

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1 सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
2 आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमाँऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
3 महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4 निदेशक, कोषागार एवं लेखा हकदारी 23 लक्ष्मी रोड़ उत्तराखण्ड देहरादून।
5 निदेशक,पंचायतीराज, उत्तराखण्ड—देहरादून।
6 निदेशक भारत सरकार, वित्त मंत्रालय व्यय विभाग, वित्त आयोग प्रभाग,[illegible] सी0जी0ओ0 कोम्पलेक्स नई दिल्ली।
7 समस्त मुख्य कोषाधिकारी /वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
8 निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
9 वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
10 एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(आर.सी.अग्रवाल)
अपर सचिव, वित्त।

संख्याः– 154/XXVII (1)/2012 दिनांकः 16 मार्च,2012 का संलग्नक।

13वाँ वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु क्षेत्र पंचायतों को द्वितीय किश्त हेतु देय धनराशि का संक्रमण।

(धनराशि हजार ₹ में)

जिला	क्षेत्र पंचायत का नाम	वर्ष 2011–12 हेतु देय द्वितीय किश्त
1	2	3
अल्मोड़ा	भैसियाछाना	363
	भिकियासैण	538
	चौखुटिया	642
	धौलादेवी	1322
	द्वाराहाट	794
	हवलबाग	735
	लमगड़ा	878
	सल्ट	1130
	स्याल्दे	904
	ताकुला	487
	ताडीखेत	1231
	योगः–	9024
बागेश्वर	बागेश्वर	1335
	गरूड़	626
	कपकोट	1236
	योगः–	3197
चमोली	दशोली	760
	देवाल	597
	गैरसैण	1178
	घाट	552
	जोशीमठ	1649
	कर्णप्रयाग	1009
	नारायणबगड़	559
	पोखरी	672
	थराली	540
	योगः–	7516
चम्पावत	बाराकोट	337
	चम्पावत	1355
	लोहाघाट	437
	पाटी	368
	योगः–	[illegible]

(धनराशि हजार ₹ में)

जिला	क्षेत्र पंचायत का नाम	वर्ष 2011–12 हेतु देय द्वितीय किश्त
1	2	3
देहरादून	चकराता	1108
	डोईवाला	1485
	कालसी	1138
	रायपुर	1523
	सहसपुर	1893
	विकासनगर	1507
	योगः—	8654
हरिद्वार	बहादराबाद	4169
	भगवानपुर	2198
	खानपुर	677
	लक्सर	1332
	नारसन	1873
	रुड़की	1616
	योगः—	11865
नैनीताल	बेतालघाट	663
	भीमताल	530
	धारी	331
	हल्द्वानी	1658
	कोटाबाग	532
	ओखलकाण्डा	869
	रामगढ़	578
	रामनगर	847
	योगः—	6008
पौड़ी	बीरोंखाल	1645
	दुगड्डा	3255
	द्वारीखाल	1994
	एकेश्वर	998
	कल्जीखाल	1280
	खिर्सू	679
	कोट	933
	लैंसडाऊन	1294
	नैनीडांडा	1632
	पाबो	1323
	पौडी	823
	पोखड़ा	663

(धनराशि हजार ₹ में)

जिला	क्षेत्र पंचायत का नाम	वर्ष 2011-12 हेतु देय द्वितीय किश्त
1	2	3
	रिखणीखाल	1219
	थलीसैण	2229
	यमकेश्वर	2019
	योगः—	21886
पिथौरागढ़	बेरीनाग	1045
	धारचूला	1511
	डीडीहाट	422
	गंगोलीहाट	1253
	कनालीछीना	585
	मुनाकोट	619
	मुनस्यारी	1720
	पिथौरागढ़	595
	योगः—	7750
रुद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	1649
	जखोली	816
	ऊखीमठ	856
	योगः—	3321
टिहरी गढ़वाल	भीलंगना	2808
	चम्बा	759
	देवप्रयाग	906
	जाखणीधार	600
	जौनपुर	1233
	कीर्तिनगर	562
	नरेन्द्रनगर	676
	प्रतापनगर	658
	थौलधार	605
	योगः—	[illegible]
ऊधमसिंह नगर	बाजपुर	934
	गदरपुर	779
	जसपुर	885
	काशीपुर	675
	खटीमा	2294
	रूद्रपुर	938
	सितारगंज	2409
	योगः—	[illegible]

(धनराशि हजार ₹ में)

जिला	क्षेत्र पंचायत का नाम	वर्ष 2011-12 हेतु देय द्वितीय किश्त
1	2	3
उत्तरकाशी	भटवाडी	1085
	चिन्यालीसौड	652
	डुण्डा	755
	मोरी	893
	नौगाँव	2046
	पुरोला	370
	योगः-	5801
	महायोगः-	105570

(₹ दस करोड़ पचपन लाख सत्तर हजार मात्र)

(आर.सी. अग्रवाल)
अपर सचिव, वित्त।